

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

पत्रांक: 609

दिनांक- 10.5.2021


विज्ञापन सं०-02/2019 अन्तर्गत ट्यूटर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश:-

1. अंकों की गणना निम्नलिखित रूप से की गई है।
 - (क) बी०एस-सी० नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) या डी०एन०ई०ए० कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए -60 अंक
 - (ख) बहन ट्यूटर/ट्यूटर के रूप में बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों/संस्थानों में शैक्षणिक अनुभव के लिए (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक) -25 अंक
 - (ग) उच्चतर योग्यता (MSC नर्सिंग) के लिए -15 अंक

कुल-100 अंक
2. बी०एस-सी० नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) या डी०एन०ई०ए० के प्राप्त अंकों के प्रतिशत को 0.6 से गुणा कर प्राप्त अंकों के आधार पर।

उदाहरण:- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बी०एस-सी० नर्सिंग में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया है तो उसे $50 \times 0.6 = 30$ अंक दिए जायेंगे। यही उसका अंक माना जायेगा।
3. विज्ञापन में वर्णित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करने वाले अभ्यर्थी को Disqualify समझा गया है।
4. किसी भी प्रकार का आपत्ति आयोग के वेबसाइट के माध्यम से ही देना होगा अन्य किसी भी माध्यम से आपत्ति मान्य नहीं होगा।
5. किसी भी प्रकार के टंकण भूल को आयोग द्वारा सुधार किया जा सकता है।

नोट :- यह प्रतिलिपि कानूनी उपयोग के लिए मान्य नहीं होगा।


10.5.2021
प्रभारी सचिव

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।